भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1318

11.12.2025 को उत्तर के लिए

रीसस मकाक को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम से हटाया जाना

1318. श्रीमती सुधा मूर्ती :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीसस मकाक को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के भाग I से हटाने का निर्णय लेने से पहले कोई वैज्ञानिक आकलन, विशेषज्ञ परामर्श या पारिस्थितिकीय अध्ययन किया गया

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय पारिस्थितिकी, संरक्षण और मानव-वन्यजीव संपर्क से संबंधित चिंताओं को देखते हुए इस निर्णय की समीक्षा करने का विचार रखता है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) रिसस मकाक *(मकाका मुलता)* को वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 से पहले वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II के भाग-I में सूचीबद्ध किया गया था। वर्ष 2022 के संशोधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों की विभागीय संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों तथा मंत्रालय के वैज्ञानिक संगठनों से प्राप्त परामर्शों के आधार पर किए गए थे।

प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राय मांगी गई थी। इस विषय पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के आधार पर समिति ने रिसस मकाक *(मकाका मुलता)* को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में शामिल करने की सिफारिश की थी।
